का.सं.-45

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक3282/14–1, दिनांक, अमरोहा,जून, 27 2018

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
यूनिट–18 सी0एण्ड डी0एस0
उत्तर प्रदेश जल निगम, मुरादाबाद।

विषय :– अमरोहा–कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/09/42/2017/एफ0सी0/190 दिनांक 15.06.2018

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15.06.2018 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 7 तक निम्न प्रकार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात (1.692x2=3.384) अर्थात 3.40 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (रू0 5,60,000/–)(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनस्वरूप प्रस्तावित वनभूमि के दुगुने अवनगत वनभूमि पर अर्थात (1.692x2=3.384) 3.40 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (रू0 5,60,000/–)(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

U.A/Amt/RE 29.6.18

3. (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये, आदेशनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि (रू0 10,59,192.00) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से जमाकर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ख) इसके उपरान्त याचक विभाग द्वारा ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृती की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशन्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing)भी लिखनी होगी।

Scanned by CamScanner

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना बनाकर अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

6. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा निर्गत अघतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दंडात्मक राशि का निर्धारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा उसकी वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को समस्त विवरण से अवगत कराया जाएगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उक्त प्रकरण में नाला निर्माण कार्य हेतु जनपद अमरोहा में बाधक वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्ष 374 का छपान किये जाने हेतु 10/रू0 प्रति वृक्ष की दर से रू0 3740/—का बैंक ड्राफट जोकि प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा के नाम से देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन अतिशीघ्र करने का कष्ट करें, ताकि शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। परिपालन आख्या के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार ।

DFO, Amroha.

भवदीय,

(रमेशचन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक _____ / _____ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी अमरोहा।

(रमेशचन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

Scanned by CamScanner